

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 294 / 2013

संस्थापित दिनांक 04 / 06 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. मोनू जाटव पुत्र कालीचरन जाटव उम्र—20साल
 2. सोनू जाटव पुत्र कालीचरन जाटव उम्र—21साल
 3. कालीचरन पुत्र राजाराम जाटव उम्र—35साल
- समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण वार्ड क02
आपा की तकिया गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 10 / 09 / 14 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324 / 34 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 20 / 05 / 13 के शाम 5. 00 बजे गोलम्बर कलारी के पास गोहदमे फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी अलीहसन की दांतो से काटकर चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपीगण से राजीनामा हो गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी गोलू ने दिनांक 20 / 5 / 14 के 18:05 बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज शाम करीब 5:00 बजे तिराहे पर कैसेट की दुकान जो कि दिनेश तोमर की है उस पर उसके मौहल्ले के मोनू व सोनू बैठते हैं उसने सी0डी0कैसिट मोल मांगी और 20 /—रूपये दिये 20 /—रूपये रख लिये और कैसिट नहीं दी और कहा तुम पे जो बन पड़े सो कर लेना और गाली गलोज करने लगा उसने गाली देने से मना

किया तो मोनू ने एक डंडा मारा जो उसके बाये हाथ की कलाई में लगा मूंदी चोट आई एक डंडा सोनू ने मारा दाहिने हाथ की कलाई में मूंदी चोट आई मोनू ने पीठ में काट लिया तथा सोनू ने उसका गला दबा दिया काली चरन ने लात घूनों से मारपीट की जिससे जगह-जगह चोटे आई इतने में इश्ताक, बसारत आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अदम चैक क्रमांक 76/13 पर दर्ज की गई एवं जांच उपरांत अप0क0 79/13 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं व फरियादी व आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीग को भा0द0वि0 की धारा 294 में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सददाम खां उर्फ गोलू को पीठ में दांतों से काटकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की थी?

सकारण निष्कर्ष

8. गोलू आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि शाम का समय था उसका आरोपी सोनू, मोनू और कालीचरन से सी0डी0लेने के उपर से विवाद हो गया हम लोगों का आपस में झगडा हो गया था हल्की, फुल्की हाथापाई हो गई थी जिसमें उसे चोट आई थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01की है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा दांतों से काटकर उपहति कारित किये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है।

9. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने आहत को दांतों से काटकर चोट पहुंचाकर उपहति कारित की हो।

10. अभियोजन मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन साक्षी पर थी लेकिन गोलू उर्फ सददाम के साथ अपराध घटित हुआ है उस साक्षी के द्वारा ही न्यायालीन अभिलेख पर दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहति किये जाने की घटना से इंकार किया है प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है आहत के कथनों से घटना पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई।

11. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा 324/34 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते हैं।

12. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

13. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 294 / 2013